The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006

Act 05 of 2006

Keyword(s):
Roadmap, Budget Management, Debt

Amendments appended: 25 of 2010, 9 of 2016, 3 of 2020, 4 of 2021, 15 of 2021, 9 of 2022

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendment□ □□□□□□□□□ relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

निबंधन सं० पी० टी०—40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 वैशाख 1928 (श०)

(सं० पटना 337)

पटना, बुधवार, 26 अप्रील, 2006

वित्त विभाग

अधिसूचना

25 अप्रील, 2006

सं० 977 र वि०(2)2625वि०(2)—बिहार सरकार, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अध्यादेश,2006 (2006 का 2) की धारा-1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 18 फरवरी 2006 प्रवृत होने की तिथि के रूप में नियत की गयी हैं के क्रम में सूचित करना है कि उक्त अध्यादेश को विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1-02/2006-लेज०-74 के द्वारा 1 अप्रील 2006 को महामहिम राज्यपाल के अनुमति के उपरांत इसे अधिनियमित कर दिया गया जिसकी तिथि 1 अप्रील 2006 के रूप में नियत की गयी है। इसे दिनांक 18 फरवरी 2006 से ही प्रवृत माना जायगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आलोक बर्द्धन चतुर्वेदी,
अवर वित्त आयुक्त(व्यय)।

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना, द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 337—571+500—डी०टी०पी०

निबंधन सं० पी० टी०—40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 चैत्र 1928 (श०)

(सं० पटना 259) पटना, बुधवार, 5 अप्रील 2006

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

3 अप्रील 2006

सं० एल० जी० 1-02/2006-लेज 74 —बिहार विधान मंडल द्वारा यथा पारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 1 अप्रील, 2006 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
प्रभारी सचिव।

बिहार अधिनियम 5,2006)

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006

राजकोषीय स्थायित्व और वहनीयता सुनिश्चित करने और राजस्व घाटा के उत्तरोत्तर समापन, राजकोषीय घाटे में कमी, वित्तीय वहनीयता से संगत विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, वित्तीय कार्यकलापों में अधिकाधिक पारदर्शिता, मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के आलोक में राजकोषीय नीति के संचालन द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना तथा मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के संबंध में राज्य सरकार के उत्तरदायित्व और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम

प्रस्तावना।- भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-।

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ ।**-(1) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित नियत करे ।

2. **परिभाषायें ।**- जब तक कि संदर्भ में अन्यथा, अपेक्षित न हो, इस विधेयक में,-

(क) "बजट" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखे गये वार्षिक वित्तीय-विवरणी;

(ख) "चालू वर्ष" से अभिप्रेत है आगामी वर्ष के पूर्ववर्त्ती वित्तीय वर्ष;

(ग) "आगामी वर्ष" से अभिप्रेत है वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा हो;

(घ) "वित्तीय वर्ष" से अभिप्रेत है पहली अप्रील से शुरू होकर अगले 31 मार्च को समाप्त होनेवाला वर्ष;

(ङ) "स.रा.घ.उ." से अभिप्रेत चालू बाजार मूल्य पर सकल राज्य घरेलु उत्पाद;

(च) "राजकोषीय घाटा" से अभिप्रेत है किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, राज्य की समेकित निधि में ऋण प्राप्तियों को छोड़कर, कुल प्राप्तियों से अधिक इस निधि से कुल संवितरण (ऋण की अदायगी को छोड़कर);

(छ) "राजकोषीय सूचकों" से अभिप्रेत है ऐसे सूचक जो राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए विहित किये गये हों;

(ज) "राजकोषीय लक्ष्य" से अभिप्रत है राजकोषीय सूचकों के आंकिक सीमाएं तथा कुल राजस्व प्राप्तियों (कु.रा.प्रा.) अथवा स.रा.घ.उ. के अनुपात;

(झ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(ञ) "पूर्ववर्त्ती वर्ष" से अभिप्रेत है चालू वर्ष का पूर्ववर्त्ती वर्ष;

(ट) "राजस्व घाटा" से अभिप्रेत है राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों (कु.रा.प्रा.) का अंतर ।

स्पष्टीकरण-कुल राजस्व प्राप्तियों (कु.रा.प्रा.) में शामिल है राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियाँ (कर और गैर-कर दोनों) तथा केन्द्र से चालू अंतरण (अनुदान और केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा सहित) ।

इसके अतिरिक्त इस खंड के प्रयोजनार्थ लोक उपक्रम तथा विशेष प्रयोजन के लिये प्रतिष्ठानों और अन्य समतुल्य लिखत द्वारा लिये गये उधार, जिनकी अदायगी का दायित्व सरकार पर हो, के ब्याज के भुगतान को राजस्व व्यय के रूप में समझा जायेगा ।

(ट) "कुल दायित्व" से तात्पर्य राज्य समेकित निधि एवं राज्य लोक लेखा के अधीन दायित्व से है तथा इसमें लोक उपक्रमों, विशेष प्रयोजनार्थ प्रतिष्ठानों अन्य समतुल्य लिखत द्वारा लिये गये उधार प्रतिभूति सहित, जिनके मूलधन और/अथवा ब्याज की अदायगी राज्य बजट से की जानी है, शामिल हैं ।

3. **राजकोषीय प्रबंधन के उद्देश्य** राज्य सरकार ।-

(क) वित्तीय वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटा को समाप्त करने के लिए समुचित उपाय करेगी तथा इसके बाद पर्याप्त राजस्व अधिशेष बनाएगी और राजकोषीय घाटा को वित्तीय वर्ष 2008-09 से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत स्तर पर बनाये रखेगी तथा ऐसे अधिशेष का उपयोग आस्तियों से अधिक दायित्वों के निर्वहन अथवा पूँजीगत व्यय के लिये करेगी,

(ख) लागत वसूली एवं साम्या पर सम्यक् रूप से ध्यान देते हुए गैर-कर राजस्व बढ़ाने की नीति अपनायेगी, और

(ग) पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता देने के लिए मानक निर्धारित करेगी तथा ऐसी व्यय नीति का अनुसरण करेगी जिससे आर्थिक उन्नति, गरीबी में कमी लाने एवं मानव कल्याण में सुधार को प्रोत्साहन प्राप्त हो सके ।

4. **राजकोषीय-प्रबंधन के सिद्धांत ।-** राज्य सरकार निम्नलिखित राजकोषीय प्रबंधन सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी -

(क) पारदर्शिता - राजकोषीय नीति के लक्ष्यों को निर्धारित करने, लोक नीति के क्रियान्वयन तथा राजकोषीय सूचना के प्रकाशन में पारदर्शिता हो ताकि जनता राजकोषीय नीति के संचालन एवं लोक वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर सके;

(ख) स्थायित्व एवं भविष्य सूचकता - राजकोषीय नीति निर्धारण प्रक्रिया तथा राजकोषीय नीति जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालेगी वह स्थायी हो तथा ऐसी हो जिससे भविष्य में इसका रुख जाना जा सके;

(ग) उत्तरदायित्व एवं समग्रता - बजट सूत्रण में समग्रता सहित लोक वित्त के प्रबंधन में उत्तरदायित्व हो;

(घ) निष्पक्षता - यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकार के वर्तमान नीति निर्णयों में भावी पीढ़ियों पर उनके वित्तीय भार का सम्यक् ध्यान रखा गया है, निर्णयों में निष्पक्षता हो;

(ङ) दक्षता - राजकोषीय नीति के रूपांकन एवं क्रियान्वयन तथा लोक वित्त की आस्तियों एवं दायित्वों के प्रबंधन में दक्षता हो;

5. **राजकोषीय नीति विषयक विवरण का विधान-मंडल के समक्ष रखा जाना ।-**

राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष बजट के साथ-साथ राजकोषीय नीति संबंधी निम्नलिखित विवरणों को रखेगी -

(क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण,

(ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण और

(ग) राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण ।

6. **वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण ।-** वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण यथा विहित प्रपत्र में होगा, जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन, स.रा.घ.उ. में वृद्धि एवं उसके क्षेत्रीय संरचनाओं में रुझान,

का विश्लेषण, राज्य सरकार के वित्तीय स्थिति एवं भावी परिदृश्य का आकलन होगा ।

7. **मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण** - (1) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण यथा विहित प्रपत्र में होगा, जिसमें राज्य सरकार के राजकोषीय प्रबंधन लक्ष्यों और विहित राजकोषीय सूचकों के लिए त्रिवार्षिक लक्ष्य अंतर्विष्ट होंगे और इसमें अंतर्निहित धारणाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख रहेगा ।

(2) विशेष रूप से और उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में राजकोषीय संसूचकों के पीछे विभिन्न धारणाओं और निम्नलिखित से संबंधित वहनीयता का मूल्यांकन शामिल होगा :-

(i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के मध्य अतिशेष,

(ii) उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिए उधार सहित अन्य पूँजीगत प्राप्तियों का उपयोग,

(iii) अगले दस वर्ष के लिए यथार्थ आधार पर प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व:

परंतु यदि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् प्रथम तीन वर्ष के दौरान यथार्थ आधार पर पेंशन दायित्व की गणना करना संभव न हो तो राज्य सरकार उस अवधि के दौरान वृद्धि दर की प्रवृत्तियों के आधार पर पूर्वानुमान करते हुए पेंशन दायित्व का प्राक्कलन कर सकेगी ।

8. **राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण** ।- राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण यथा विहित प्रपत्र में होगा, और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे :-

(i) आगामी वित्तीय वर्ष के लिये कराधान, व्यय, उधारी और अन्य दायित्वों (जिसमें लोक उपक्रमों एवं विशेष प्रयोजनवाले उद्यम तथा अन्य समतुल्य लिखत के द्वारा लिये गये उधार जिनकी अदायगी का दायित्व राज्य सरकार पर हो, शामिल हैं), देनदारी और निवेश, अन्य आकस्मिक दायित्व, सार्वजनिक वस्तुओं/जनोपयोगी सेवाओं पर प्रयोक्ता प्रभार तथा अन्य क्रियाकलाप यथा गारंटी और लोक उद्यमों के क्रियाकलाप जिनके कारण भविष्य में बजट पर असर पड़े से संबंधित राज्य सरकार की राजकोषीय नीतियाँ,

(ii) आगामी वर्ष के लिए राजकोषीय क्षेत्रों में राज्य सरकार की कार्ययोजना की प्राथमिकताएँ,

(iii) प्रमुख राजकोषीय उपाय तथा कराधान, सब्सिडी, व्यय, उधार तथा सार्वजनिक वस्तुओं/जनोपयोगी सेवाओं पर प्रयोक्ता प्रभार के संबंध राजकोषीय उपायों में किसी वृहद् विचलन का औचित्य, और

(iv) धारा-4 में दिए गए राजकोषीय प्रबंधन के सिद्धांतों, धारा-7 की उपधारा (1) में यथावर्णित मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में उपवर्णित राजकोषीय उद्देश्यों और धारा-9 में उपवर्णित राजकोषीय लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य सरकार की वर्तमान नीति का मूल्यांकन ।

9. **राजकोषीय लक्ष्य** ।- (1) राज्य सरकार राजकोषीय प्रबंधन के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए यथा आवश्यक लक्ष्य निर्धारित कर सकेगी ।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्त्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार-

(क) वित्तीय वर्ष 2006-07 के आरम्भ से, एवं राजस्व घाटे की स्थिति होने पर, राजस्व घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में प्रति वर्ष आर्थिक स्थिति को देखते हुए कम से कम 0.1 प्रतिशत कम करेगी, वित्तीय वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटा समाप्त कर देगी तथा इसके पश्चात् राजस्व अधिशेष बनायेगी,

(ख) वित्तीय वर्ष 2006-07 के आरम्भ से एवं राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 3 प्रतिशत से अधिक होने पर इस अनुपात में प्रति वर्ष कम से कम 0.3 प्रतिशत की कमी लायेगी और वर्ष 2008-09 तक राजकोषीय घाटा को घटाकर स.रा.घ.उ.के 3 प्रतिशत तक लायेगी:

परंतु आंतरिक विघ्न, प्राकृतिक आपदाओं अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य आपवादिक आधारों के कारण राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकती है:

परंतु, और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों के संबंध में एक विवरण, ऐसे घाटे की राशि के उपर्युक्त लक्ष्यों से अधिक हो जाने पर यथा शीघ्र विधान-मंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

10. **राजकोषीय पारदर्शिता के लिए उपाय ।**- (1) राज्य सरकार लोक हित में अपनी राजकोषीय संक्रियाओं में अधिकाधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेगी और जहाँ तक साध्य हो वार्षिक बजट की तैयारी में गोपनीयता को कम करेगी ।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार वार्षिक बजट तैयार किये जाने के समय ऐसे प्रपत्र में जो विहित किया जाय एक विवरण में निम्नलिखित प्रकट करेगी :-

(क) विहित वित्तीय सूचकों को प्रभावित करने वाले या प्रभावित करने की संभावना वाले लेखा-मानकों, नीतियों और पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन,

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिमों/ओवर ड्राफ्ट के माध्यम से दिए गए उधारों का ब्यौरा ।

(ग) सरकारी, सार्वजनिक तथा सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की संख्या तथा उनके वेतन ब्यौरा संबंधी विवरणी ।

(3) जब कभी राज्य सरकार किसी पृथक् विधिक निकाय को बिना शर्त एवं काफी बड़े अनुपात में मूल रकम के पुनर्भुगतान तथा/अथवा ब्याज - अदायगी के लिए वचनबद्ध हो तो ऐसे दायित्वों को सरकार के उधार के रूप में प्रतिबिम्बित करेगी ।

11. **अनुपालन का प्रवर्तन कराने के उपाय ।**- (1) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री (इसमें इसके पश्चात् वित्त मंत्री के रूप में निर्दिष्ट) बजट प्राक्कलन से संबंधित प्राप्तियों एवं व्यय के रूझान का प्रत्येक तिमाही पर पुनर्विलोकन करेंगे तथा ऐसे पुनर्विलोकन के परिणाम को विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखेंगे ।

(2) जब कभी राजकोषीय कार्ययोजना विवरण अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में उल्लिखित वार्षिक लक्ष्यों की तुलना में राजस्व में कमी हो, अथवा व्यय में आधिक्य हो तब राज्य सरकार राजस्व बढ़ाने और/अथवा व्यय कम करने के लिए समुचित उपाय करेगी, जिसमें राज्य की समेकित निधि से भुगतान के लिये माँगी जाने वाली और अधिकृत राशि को कम करना भी शामिल है:

परंतु इस उपधारा का कोई भी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 202 के खंड (3) के अधीन राज्य की समेकित निधि पर प्रभृत व्यय तथा कोई अन्य व्यय, जो किसी ऐसे करार या अनुबंध के अधीन किया जाना हो, जिसे स्थगित या कम नहीं किया जा सकता हो, पर लागू नहीं होगा ।

(3) (क) इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर डाली गई बाध्यताओं को पूरा करने में कोई विचलन विधान मंडल के अनुमोदन के बिना अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(ख) जहाँ अप्रत्याशित परिस्थितियों के चलते इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर डाली गई बाध्यताओं को पूरा करने में कोई विचलन किया जाता हो तो वित्त मंत्री निम्नलिखित को स्पष्ट करते हुए विधान मंडल के दोनों सदनों में अभिकथन करेंगे :-

(i) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार की बाध्यताओं को पूरा करने में कोई विचलन,

(ii) क्या ऐसा विचलन पर्याप्त है और वास्तविक या संभावी बजट संबंधी परिणामों से संबंधित है; और

(iii) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित उपचारी उपाय ।

(4) वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तावित कोई उपाय जिसके चलते राजस्व घाटा बढ़ता हो, चाहे वह व्यय में वृद्धि या राजस्व की हानि के कारण हुई हो, तो उसके साथ उपचारी उपाय का विवरण भी दिया जायेगा, जिसमें ऐसी वृद्धि या हानि को निष्प्रभावित करने के उपाय का प्रस्ताव हो, और ऐसा विवरण विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

(5) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन की समय-समय पर पुनर्विलोकन करने के लिए एक एजेन्सी का गठन कर सकेगी तथा ऐसी पुनर्विलोकनों को राज्य विधान मंडल के सदनों के पटल पर रखेगी ।

12. **नियमावली बनाने की शक्ति ।**- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियमावली बना सकेगी ।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी नियमावली निम्नलिखित समस्त या किसी विषय के लिये उपबंध कर सकेगी, यथा-

(क) धारा-6 के अधीन वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण का प्रपत्र,

(ख) धारा-7 के अधीन राजकोषीय सूचकों के लिए लक्ष्य सहित मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण का प्रपत्र,

(ग) धारा-8 के अधीन राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण का प्रपत्र,

(घ) धारा-10 की उप धारा (2) के अधीन प्रकटीकरण का प्रपत्र,

(ङ) अनुपालन कराने का उपाय,

(च) धारा-11 के अधीन स्वतंत्र एजेंसी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन की समीक्षा की रीति और

(छ) कोई अन्य विषय, जो अपेक्षित हो या जो विहित किया जाय ।

13. **नियमावली का विधान मंडल के समक्ष रखा जाना ।**- इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान मंडल के सदनों के समक्ष, जब वे सत्र में हों, कुल चौदह दिनों की अवधि के लिये रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र या दो या उससे अधिक लगातार सत्रों को मिलाकर हो सकती है । यदि उपर्युक्त सत्र या उपर्युक्त उत्तरवर्त्ती सत्रों के ठीक बाद वाले सत्रावसान से पहले, सदन नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन इस बात के लिए सहमत हो कि यह नियम न बनाया जाय तो तत्पश्चात् नियम यथास्थिति, उस उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, किन्तु ऐसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण इस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधि-मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

14. **सद्‌भाव पूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण ।**- इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक की गई या किये जाने के लिए किसी बात के लिये राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी पदाधिकारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्रवाई नहीं की जायेगी ।

15. **सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन** ।- इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के किसी विनिश्चय या की गयी किसी कार्रवाई की विधिमान्यता को प्रश्नागत करने की अधिकारिता किसी सिविल न्यायालय को नहीं होगी ।

16. **अन्य विधियों के उपयोजन का वर्जन नहीं** ।-इस अधिनियम के उपबंध, जहाँ कहीं राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करे, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण के लिये होंगे ।

17. **कठिनाई दूर करने की शक्ति** ।- यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जैसा वह कठिनाई दूर करने के लिए उचित समझे और जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों :

परन्तु, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष बीत जाने के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

2. इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

18. निरसन एवं व्यावृति । - (1) बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अध्यादेश,2006 (बिहार अध्यादेश सं0 2, 2006) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

3 अप्रील 2006

सं० एल० जी० 1-02/2006-लेज-74 —बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा 1 अप्रील, 2006 को अनुमत बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
प्रभारी सचिव।

[Bihar Act, 5,2006]

The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006

AN

ACT

To provide for the responsibility of the State Government to ensure prudence in fiscal management and fiscal stability, and to enhance the scope for improving social and physical infrastructure and human development by progressive elimination of revenue deficit, reduction in fiscal deficit prudent debt management consistent with fiscal sustainability, greater transparency in fiscal operations of the Government and conduct of fiscal policy in a medium term framework and for matters connected therewith or incidental thereto.

Preamble - Be it enacted by the Legislature of the state of Bihar in the Fifty seventh year of the republic of India as follows :-

1. Short Title, Extent and Commencement. - (1) This Act may be called the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Official Gazette*, appoint in this behalf.

2. Definitions. - In this Act, unless the context otherwise requires-

(a) "budget" means the annual financial statement laid before both Houses of the State Legislature under Article 202 of the Constitution;

(b) "current year" means the financial year preceding the ensuing year;

(c) "ensuing year" means the financial year for which the budget is being presented;

(d) "financial year" means the year beginning on the 1st April and ending on 31st March next following;

(e) GSDP means Gross State Domestic Product at current market prices.

(f) "fiscal deficit" means the excess of total disbursements (net of debt repayments) from the Consolidated Fund of the State over total receipts into the Fund excluding the debt receipts during a financial year.

(g) "fiscal indicators" means such indicators as may be prescribed for evaluation of the fiscal position of the State Government;

(h) "fiscal targets" means the numerical ceilings and proportions to total revenue receipt (TRR) or GSDP for the fiscal indicators;

(i) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

(j) "previous year" means the year preceding the current year;

(k) revenue deficit means the difference between revenue expenditure and total revenue receipts (TRR).

Explanation: 'Total revenue receipts' (TRR) includes State's own revenue receipts (both tax and non-tax) and current transfers from the Centre (comprising grants and State's share of Central taxes). Further for the purpose of this clause, interest payment by Government towards borrowings by Public Sector Undertakings and Special Purpose Vehicles and other equivalent instruments where liability for repayment is on Government , shall be treated as revenue expenditure.

(l) "total liabilities" means the liabilities under the Consolidated Fund of the State and the Public Account of the State and shall also include borrowings by the public sector undertakings and the special purpose vehicles and other equivalent instruments including guarantees where the principal and/ or interest are to be serviced out of the State budgets.

3. Fiscal Management Objectives. - The State Government shall:

(a) take appropriate measures to eliminate the revenue deficit by 2008-09 and thereafter build up adequate revenue surplus and contain the fiscal deficit at three percent of Gross State Domestic Product from 2008-09 onwards, and utilize such surplus for discharging the liabilities in excess of the assets or for funding capital expenditure;

(b) pursue policies to raise non-tax revenue with due regard to cost recovery and equity; and

(c) lay down norms for prioritisation of capital expenditure, and pursue expenditure policies that would provide impetus for economic growth, poverty reduction and improvement in human welfare.

4. Fiscal Management Principles. - The State Government shall be guided by the following fiscal management principles, namely:-

(a) *transparency* -- There should be transparency in setting the fiscal policy objectives, the implementation of public policy and the publication of fiscal information so as to enable the public to scrutinise the conduct of fiscal policy and the state of public finances;

(b) *stability and predictability:* The fiscal policy making process and the way fiscal policy impacts the economy should be stable and should be such that its trend in the future may be predicted ;

(c) *responsibility and integrity:* There should be responsibility in the management of public finances, including *integrity* in budget formulation;

(d) *fairness* : There should be fairness to ensure that policy decisions of the State Government have due regard to their financial implications on future generations; and

(e) *efficiency* :There should be efficiency in the design and implementation of the fiscal policy and in managing the assets and liabilities of the public sector .

5. Fiscal Policy Statements to be laid before the Legislature. - The State Government shall in each financial year lay before both Houses of the Legislature, the following statements of fiscal policy along with the budget, namely:-

(a) *the Macroeconomic Framework Statement;*

(b) *the Medium Term Fiscal Policy Statement; and*

(c) *the Fiscal Policy Strategy Statement.*

6. Macroeconomic Framework Statement. - The Macroeconomic Framework Statement, in such form as may be prescribed, shall contain an overview of the State economy, an analysis of growth and trends in the sectoral composition of GSDP, an assessment related to State Government finances and future prospects.

7. Medium Term Fiscal Policy Statement. - (1) The Medium Term Fiscal Policy Statement shall set forth in such form as may be prescribed the fiscal management objectives of the State Government and three- year rolling targets for the prescribed fiscal indicators with clear enunciation of the underlying assumptions.

(2) In particular and without prejudice to the provisions contained in sub section (1), the Medium Term Fiscal Policy Statement shall include the various assumptions behind the fiscal indicators and an assessment of sustainability relating to:-

(i) the balance between revenue receipts and revenue expenditure;

(ii) the use of capital receipts including borrowings for generating productive assets;

(iii) the estimated yearly pension liabilities worked out on actuarial basis for the next ten years:

Provided that in case it is not possible to calculate the pension liabilities on actuarial basis during the period of first three years after the coming into force of this Act, the State Government may, during that period, estimate the pension liabilities by making forecasts on the basis of trend growth rates

8. Fiscal Policy Strategy Statement. - The Fiscal Policy Strategy Statement shall be in such form as may be prescribed and shall contain, *inter alia*,

(i) the fiscal policies of the State Government for the ensuing year relating to taxation, expenditure, borrowings and other liabilities (including borrowings by Public Sector Undertakings and Special Purpose Vehicle and other equivalent instruments where liability for repayment is on the State

Government), lending, investments, other contingent liabilities, user charges on public goods/utilities and description of other activities, such as guarantees and activities of Public Sector Undertakings which have potential budgetary implications,

(ii) the strategic priorities of the State Government in the fiscal area for the ensuing year;

(iii) the key fiscal measures and the rationale for any major deviation in fiscal measures pertaining to taxation, subsidy, expenditure, borrowings and user charges on public goods/utilities; and

(iv) an evaluation of the current policies of the State Government *vis-à-vis* the fiscal management principles set out in Section-4, the fiscal objectives set out in the Medium-Term Fiscal Policy Statement in sub-section (1) of section-7 and fiscal targets set out in section -9.

9. Fiscal Targets. - (1) The State Government may prescribe such targets as may be deemed necessary for giving effect to the fiscal management objectives.

(2) in particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Government shall -

(a) beginning from financial year 2006-07 and in case there being revenue deficit, reduce revenue deficit/Gross State Domestic Product ratio every year by at least 0.1 per cent depending upon the economic situation, eliminate revenue deficit by 2008-09 and generate revenue surplus thereafter;

(b) beginning from financial year 2006-07 reduce fiscal deficit / Gross State Domestic Product ratio by at least 0.3 percent per year, if it is more than 3 percent and to not more than 3 per cent by 2008-09;

Provided that revenue deficit and fiscal deficit may exceed the limits specified under this section due to unforeseen circumstances arising out of internal disturbance or natural calamity or such other exceptional grounds as the State Government may specify,

Provided further that a statement in respect of the ground or grounds specified in the first proviso shall be placed before the House or Houses of the Legislature, as soon as may be, after such deficit amount exceeds the aforesaid targets.

10. Measures for Fiscal Transparency. - (1) The State Government shall take suitable measures to ensure greater transparency in its fiscal operations in the public interest and minimise as far as practicable, secrecy in the preparation of the budget.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Government shall, at the time of presentation of the budget, make disclosures on the following, along with detailed information in such forms as may be prescribed:

(a) the significant changes in the accounting standards, policies and practices affecting or likely to affect the computation of fiscal indicators;

(b) details of borrowings by way of Ways and Means Advances/Overdraft availed of from the Reserve Bank of India.

(c) the number of employees in government, public sector, and aided Institutions and related salaries.

(3) Whenever the State Government undertakes to unconditionally and substantially repay the principal amount and/or pay the interest of any separate legal entity, it has to reflect such liability as the borrowings of the State.

11. Measures to Enforce Compliance. - (1) The Minister-in-Charge of the Department of Finance (hereinafter referred to as Minister of Finance) shall review, every quarter, the trends in receipts and expenditure in relation to the budget estimates and place before the House or Houses of the Legislature, the outcome of such reviews.

(2) Whenever there is either shortfall in revenue or excess of expenditure over the intra-year targets mentioned in the Fiscal Policy Strategy Statement or the rules made under this Act, the State Government shall take appropriate measures for increasing revenue and/or for reducing the expenditure, including curtailment of the sums authorised to be paid and applied from out of the Consolidated Fund of the State.

Provided that nothing in this sub-section shall apply to the expenditure charged on the Consolidated Fund of the State under clause (3) of Article 202 of the Constitution or any other expenditure which is required to be incurred under any agreement or contract, which cannot be postponed or curtailed.

(3) (a) Except as provided under this Act, no deviation in meeting the obligations cast on the State Government under this Act shall be permissible without approval of Legislature.

(b) Where owing to unforeseen circumstances, any deviation is made in meeting the obligations cast on the State Government under this Act, the Minister of Finance shall make a statement in both the Houses of Legislature explaining: --

(i) any deviation in meeting the obligations cast on the State Government under this Act;

(ii) whether such deviation is substantial and relates to the actual or the potential budgetary outcomes; and

(iii) the remedial measures the State Government proposes to take.

(4) Any measure proposed in the course of the financial year, which may lead to an increase in revenue deficit, either through increased expenditure or loss of revenue, shall be accompanied by a statement of remedial measures, proposed to neutralise such increase or loss and such statement shall be placed before both Houses of Legislature.

(5) The State Government may set up an agency independent of the State Government to review periodically the compliance of the provisions of this Act and table such reviews in the Houses of the State Legislature.

12. Power to Make Rules. - (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely

(a) the form of the Macroeconomic Framework Statement under section 6;

(b) the form of Medium-Term Fiscal Policy Statement, including the targets for the fiscal indicators, under section 7;

(c) the form of Fiscal Policy Strategy Statement under section 8;

(d) the forms for disclosure under sub-section (2) of section 10;

(e) measures to enforce compliance;

(f) the manner of review of compliance of the provisions of this Act by the independent agency under section 11; and

(g) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

13. Rules to be laid before Legislature. - Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Houses of the Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days. This period may be comprised in one session or in two or more successive sessions. If, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the Houses agree in making any modification in the rule or the Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

14. Protection of action taken in good faith. - No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any officer of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made there under.

15. Jurisdiction of civil courts barred. - No civil court shall have jurisdiction to question the legality of any action taken by, or any decision of, the State Government, under this Act.

16. Application of other laws not barred. - The provisions of this Act shall, wherever the State Government, by notification, so declare, be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force.

17. Power to remove difficulties. - (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official

Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty.

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature.

16. Repeal and Savings - (1) The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Ordinance, 2006 (Bihar Ordinance no. 2,2006) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act, as if this Act. Were in force on the day on which such thing was done or action taken.

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 259—571+390—डी०टी०पी०

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 श्रावण 1932 (श0)
(सं0 पटना 522) पटना, सोमवार, 2 अगस्त 2010

विधि विभाग

अधिसूचना

2 अगस्त 2010

सं० एल0जी0-1-26/2010/लेज-184—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 25, 2010]

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010

प्रस्तावनाः- राजकोषीय समेकन के लिये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित पुनरीक्षित रूपरेखा को लागू करने एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रक्रिया को और पारदर्शी तथा व्यापक बनाने के लिये राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ-(1) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित नियत करें ।

2. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-2 में संशोधन ।—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा 2 की उप-धारा (ठ) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा (ड) जोड़ी जायेगी :-

(ड) ''ऋण'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा ब्याज पर ली गई उधार की राशि ।

3. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-3 में संशोधन ।—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा-3 की उप-धारा (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :-

> ''(क) राजकोषीय सुधार के मार्ग पर आने के लिये वर्ष 2007-08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व अधिशेष प्राप्त करने पर वर्ष 2011-12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 (तीन) प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त करेगी और उसे उसके बाद बनाये रखना होगा ।''

4. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-9 में संशोधन ।—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा-9(2)(ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :-

> ''(ख) वित्तीय वर्ष 2010-11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत करेगी एवं वर्ष 2011-12 में यह 3 प्रतिशत होगी और इसे वर्ष 2014-15 तक बनाये रखना होगा ।''

5. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा 9 में संशोधन ।—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा-9 की उप-धारा 2 के खंड (ख) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड (ग) जोड़ा जायेगा :-

> ''(ग) ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के लिये क्रमशः 48.2, 46.4, 44.6, 43.0 एवं 41.6 तक लायेगी ।''

2 अगस्त 2010

सं० एल0जी0-1-26/2010/लेज-185—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2010 को अनुमत बिहार राजकोषीय (उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन) (संशोधन) विधेयक, 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 25, 2010]

The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2010

AN
ACT

Preamble:- To amend The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 to provide amendment in fiscal targets as recommended by the 13th Finance Commission for application revised roadmap for fiscal consolidation and to make fiscal responsibility and budget management process more transparent and comprehensive.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty first year of the republic of India as follows :-

1. *Short title, Extent and Commencement* **-** (1) This Act may be called The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf.

2. *Amendment in section 2 of The Bihar Act 5, 2006*.—The following new sub-section (m) after sub-section (l) of section 2 of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006).

(m) 'Debt' means amount taken by the State Government on credit with interest.

3. *Amendment in section 3 of The Bihar Act 5, 2006*.—Sub-section (a) of Section 3 of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006) shall be substituted by the following :-

" (a) for fiscal reform path the State on attaining a zero revenue deficit or revenue surplus in 2007-08 shall have to achieve a fiscal deficit of 3 percent of Gross State Domestic Product by 2011-12 and maintain such thereafter."

4. *Amendment in Section 9 of The Bihar Act 5, 2006*.—Section 9(2)(b) of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006) shall be substituted by the following :-

" (b) in the financial year 2010-11 bring the fiscal deficit/Gross State Domestic Product ratio to 3.5 percent and it shall be 3 percent in 2011-12 and maintain such upto year 2014-15."

5. *Amendment in Section 9 of The Bihar Act 5, 2006*.—The following new clause (c) shall be added after clause (b) of sub-section 2 of section 9 of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006):-

"(c) bring Debt as percent of Gross State Domestic Product in the financial year 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15 to 48.2, 46.4, 44.6, 43.0 and 41.6 respectively."

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 522-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1938 (श0)

(सं0 पटना 663) पटना, वृहस्पतिवार, 11 अगस्त 2016

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

11 अगस्त 2016

सं० एल0जी0-01-10/2016/145 लेजः ।-—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 10 अगस्त 2016 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016
[बिहार अधिनियम 9, 2016]

प्रस्तावना।– राजकोषीय समेकन के लिये 14वें वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित पुनरीक्षित रूपरेखा को लागू करने एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रक्रिया को और पारदर्शी तथा व्यापक बनाने के लिए राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 का संशोधन करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।– (1) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में इस निमित नियत करें ।

2. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा–2 में संशोधन।– बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा–2 की उपधारा (ड) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा (ढ) जोड़ी जायेगी :–

''(ढ) ''ब्याज भुगतान'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार का आंतरिक ऋण, केन्द्र सरकार से राज्य सरकार द्वारा लिये गये कर्ज एवं अग्रिम एवं लोक लेखा में राज्य भविष्य निधि एवं अन्य दायित्व पर मूलधन की वापसी से भिन्न भुगतेय राशि।''

3. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा–9 में संशोधन।– बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा–9 की उपधारा (2) का खण्ड (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''(ख) **(1)** वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–20 की अवधि में राज्य के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्यों और वार्षिक उधार सीमाओं का प्रतिज्ञापन निम्नवत् किया जाता है:–

(I) राज्य का राजकोषीय घाटा जी०एस०डी०पी० (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के 3 प्रतिशत की वार्षिक सीमा तक स्थिरता प्रदान करने वाला होगा। राज्य इससे अधिक की सीमा के लिए किसी भी वर्ष में, जिसके लिए उधार सीमाएं नियत की जानी है, यदि उसका ऋण– जी०एस०डी०पी० अनुपात उसके पिछले वर्ष में 25 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है, 0.25 प्रतिशत की लोचनीयता व उदारता के लिए पात्र होगा।

(II) राज्य उक्त वर्ष में जिसके लिए उधार सीमाएं नियत की जानी है, यदि उसका ब्याज भुगतान उसके पिछले वर्ष में राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है, जी०एस०डी०पी० का 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा के लिए भी पात्र होगा।

(III) लोचनीयता संबंधी प्रावधानों के अधीन राज्य उपर्युक्त इंगित दो विकल्प प्राप्त कर सकते हैं या तो उपर्युक्त में से कोई एक मानदण्ड पूरा करने पर कोई भी उपर्युक्त विकल्प या दोनों मानदण्डों को पूरा करने पर दोनों विकल्प एक साथ। इस प्रकार किसी दिए गए वर्ष में राज्य को अधिकतम राजकोषीय घाटा जी०एस०डी०पी० के 3.5 प्रतिशत सीमा तक प्राप्त हो सकता है।

(IV) एक विकल्प या दोनों विकल्पों के अधीन अतिरिक्त सीमा प्राप्त करने के लिए राज्य के पास लोचनीयता तभी उपलब्ध होगी यदि उक्त वर्ष में, जिसमें उधार सीमाएं नियत की जानी है और ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में कोई राजस्व घाटा न हो।

(2) वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 के बीच वित्तीय वर्ष के दौरान में किसी विशिष्ट वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के सामान्य राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए अपनी स्वीकृत उधार सीमा का पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं होता है तो उसे केवल अगले वर्ष में इस अनुपयोजित उधार राशि (जिसका रूपये में परिकलन किया गया है) को 14वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि 2017–18 से 2019–20 के भीतर प्राप्त करने का विकल्प होगा। अनुपयोजित उधार राशि सहित यह राशि जी०एस०डी०पी० के 3.5 प्रतिशत तक सीमित होगी।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

11 अगस्त 2016

सं0 एल0जी0–01–10/2016/146/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2016 को अनुमत **बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management(Amendment) Act, 2016
[Bihar Act 9, 2016]

AN
ACT

Preamble- To amend The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 to provide amendment in fiscal targets as recommended by the 14th Finance Commission for application revised roadmap for fiscal consolidation and to make fiscal responsibility and budget management process more transparent and comprehensive.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty seventh year of the republic of India as follows :-

1. ***Short title, Extent and Commencement*** **-** (1) This Act may be called The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf.

2. ***Amendment in section-2 of The Bihar Act 5, 2006.—***The following new sub-section (n) after sub-section (m) of section-2 of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006):-

"(n) 'Interest Payment' means the amount payable other than refund of principal amount on the internal debt of the State Government, and loans and advances taken by the State Government from the Central Government and on State provident funds and other liabilities in the public account."

3. ***Amendment in section-9 of the Bihar Act 5, 2006.—*** Clause (b) of sub rule (2) of section- 9 of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006) shall be substituted by the following :-

"(b)(1) The fiscal deficit targets and annual borrowing limits for the State during the period 2016-17 to 2019-20 are enunciated as follows:-

(I) Fiscal deficit of the State will be anchored to an annual limit of 3 percent of GSDP. The State will be eligible for flexibility of 0.25 percent over and above this for any given year for which the borrowing limits are to be fixed if the debt-GSDP Ratio is less than or equal to 25 percent in the preceding year.

(II) The State will be further eligible for an additional borrowing limit of 0.25 percent of GSDP in a given year for which the borrowing limits are to be fixed if the interest payments are less than or equal to 10 percent of the revenue receipts in the preceding year.

(III) The two options under these flexibility provisions can be availed by the State either separately, if any of the above criterion is fulfilled, or simultaneously if both the above stated criterion are fulfilled. Thus, the State can have a maximum fiscal deficit- GSDP limit of 3.5 percent in any given year.

(IV) The flexibility for availing the additional limit under either of the two options or both will be available to the State only if there is no revenue deficit in the year in which borrowing limits are to be fixed and the immediately preceding year.

(2) If the State is not able to fully utilize its sanctioned borrowing limit of 3 percent of GSDP in any particular year during the financial year between 2016-17 to 2018-19, it will have the option of availing this unutilized borrowing amount (calculated in Rs.) only in the following year within the Fourteenth Finance Commission award period of 2017-18 to 2019-20. The amount including unutilized borrowing amount will be limited to 3.5 of GSDP."

By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 663-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 फाल्गुन 1941 (श0)

(सं0 पटना 201) पटना, वृहस्पतिवार, 12 मार्च 2020

विधि विभाग

अधिसूचना

12 मार्च 2020

सं० एल०जी०—01—03—2020/1727 लेज।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 08 मार्च 2020 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता हैः—

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश कुमार मालवीय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

(बिहार अधिनियम 3, 2020)

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन

(संशोधन) अधिनियम, 2020

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 (अधिनियम 5, 2006) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना– राजकोषीय समेकन के लिये भारत सरकार द्वारा यथा अनुशंसित, वित्तीय वर्ष 2019–20 के राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 का संशोधन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के एकहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–(1) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित नियत करें।

2. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा–9 में संशोधन। – बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा–9 के उपधारा–2(ख)(2) के बाद निम्नलिखित नए उपधारा 2(ख)(3) जोड़ी जायेगी :–

"(3) वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा यथा–उपबंधित धारा–9 के उपधारा–2(ख)(1) में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त रू0 5,688.00 (पाँच हजार छः सौ अठ्ठासी) करोड़ से बढाया जायेगा। तदनुसार इसी वित्तीय वर्ष में निवल ऋण की अधिसीमा भी इसी मात्रा से वर्द्धित रहेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश कुमार मालवीय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

12 मार्च 2020

सं० एल०जी०–01–03–2020/1728 लेज।––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 08 मार्च 2020 को अनुमत बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2020 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश कुमार मालवीय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 3,2020]
The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) ACT, 2020

AN

ACT

Preamble- To amend the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006, as it is necessary and expedient to revise fiscal targets for the year 2019-20, as recommended by Government of India for fiscal consolidation.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy first year of the Republic of India as follows :-

1. *Short title, extent and commencement* - (1) This Act may be called The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf.

2. *Amendment in section 9 of The Bihar Act 5, 2006*.— The following new sub-section 2(b)(3) after sub-section 2(b)(2) of section 9 of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006) shall be added :-

"(3) The fiscal deficit targets for the year 2019-20 shall be increased by an amount of Rs. 5,688.00 (Five thousand Six hundred and Eighty Eight) crore over and above the limits prescribed in sub-section 2(b)(1) of section 9. The borrowing limit shall accordingly be increased."

By order of the Governor of Bihar,
Brajesh Kumar Malviya,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 201–571+400–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1943 (श0)

(सं0 पटना 226) पटना, बुधवार, 31 मार्च 2021

विधि विभाग

अधिसूचना

31 मार्च 2021

सं० एल०जी०–01–08/2021–2129/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 मार्च 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी०सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

[fcgkj vf/kfu;e 04] 2021]

fcgkj jkT;dks"kh; mÙkjnkf;Ro ,oa ctV izca/ku ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2021

fcgkj jkT;dks"kh; mÙkjnkf;Ro ,oa ctV izca/ku vf/kfu;e 2006 ¼fcgkj vf/kfu;e 5] 2006½ dk la'kks/ku djus ds fy, vf/kfu;e

iLrkoukA& राजकोषीय समेकन के लिए भारत सरकार द्वारा यथा अनुशंसित, वित्तीय वर्ष 2020–21 के राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 का संशोधन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1- Lkf{kIr uke] foLrkj ,oa izkjEHkA&

(1) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2- fcgkj vf/kfu;e&5] 2006 dh /kkjk&9 dk la'kks/kuA & बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम, 5, 2006) की धारा–9 की उप धारा– 2(ख)(3) के बाद नई उप धारा–2(ख)(4) निम्नलिखित रूप से जोड़ी जायेगी :–

''2(ख)(4) वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए यथा–उपबंधित धारा–9 के उप धारा 2(ख)(1) में निर्धारित अधिसीमा के अतिरिक्त राज्य का राजकोषीय घाटा लक्ष्य एवं वार्षिक उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2% (दो प्रतिशत) बढ़ाया जायेगा। उधार सीमा में यह वृद्धि भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्त्त के अधीन होगा।''

पी०सी० चौधरी,
ljdkj ds lfpoA

---

31 मार्च 2021

सं० एल०जी०–01–08/2021**&2130@yst**—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 मार्च 2021 को अनुमत **fcgkj jkT;dks"kh; mÙkjnkf;Ro ,oa ctV izca/ku ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2021 ¼fcgkj vf/kfu;e 04] 2021½** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
पी०सी० चौधरी,,
ljdkj ds lfpoA

[Bihar Act 04, 2021]

THE BIHAR FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2021

AN

ACT

Preamble- To amend the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006, as it is necessary and expedient to revise fiscal targets for the year 2020-21, as recommended by Government of India for fiscal consolidation.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy second year of the Republic of India as follows :-

1. ***Short title, extent and commencement*** **.—**

(1) This Act may be called The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint;

2. ***Amendment in section 9 of The Bihar Act 5, 2006 -*** The following new sub-section 2(b)(4) shall be added after sub-section 2(b)(3) of section 9 of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006) :-

"2(b)(4) The fiscal deficit target and annual borrowing limit for the year 2020-21 shall be increased by two percent (2%) over and above the limits prescribed in sub-section 2(b)(1) of section 9. This increase in annual borrowing limits shall be subject to the condition, set forth by the Government of India."

P.C. Choudhary,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 226-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 श्रावण 1943 (श0)

(सं0 पटना 672) पटना, सोमवार, 9 अगस्त 2021

fof/k foHkkx

अधिसूचना

9 अगस्त 2021

सं० एल०जी०–01–18/2021–4275/लेज।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 06 अगस्त 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
पी०सी०चौधरी,
ljdkj ds lfpoA

[fcgkj vf/kfu;e 15] 2021]

fcgkj jkT;dks"kh; mÙkjnkf;Ro ,oa ctV izca/ku ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2021

fcgkj jkT;dks"kh; mÙkjnkf;Ro ,oa ctV izca/ku vf/kfu;e] 2006 ¼fcgkj vf/kfu;e 5] 2006½ dk la'kks/ku djus ds fy, vf/kfu;e

iLrkouk& राजकोषीय समेकन के लिए 15वें वित्त आयोग तथा भारत सरकार द्वारा यथा अनुशंसित, पुनरीक्षित रूपरेखा को लागू करने एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रक्रिया को पारदर्शी तथा व्यापक बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 का संशोधन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1- Lkaf{kIr uke] foLrkj ,oa izkjEHkA &

(1) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2- fcgkj vf/kfu;e&5] 2006 dh /kkjk&9 dk la'kks/ku]A & बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम, 5, 2006) की धारा–9 की उप धारा– 2(ख)(4) के बाद नई उप धारा–2(ख)(5) निम्नलिखित रूप से जोड़ी जायेगी :–

**2¼[k½¼5½ वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्यों और वार्षिक उधार सीमाओं का प्रतिज्ञापन निम्नवत किया जाता है :–

(I) वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा लक्ष्य एवं वार्षिक उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4% (चार प्रतिशत) की सीमा तक होगा। यह उधार सीमा भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्त्त के अधीन होगा।"

(II) वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए निर्धारित अधिसीमा के अतिरिक्त राज्य का राजकोषीय घाटा लक्ष्य एवं वार्षिक उधार सीमा 0.5 प्रतिशत से वर्धित होगा। यह अतिरिक्त उधार सीमा भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्त्त के अधीन होगा।"

ihŒlhŒpk/kjh]
ljdkj ds lfpoA

9 अगस्त 2021

सं० एल०जी०–01–18/2021&4276@ysat—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 अगस्त 2021 को अनुमत fcgkj jkT;dks"kh; mÙkjnkf;Ro ,oa ctV izca/ku ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2021 ¼fcgkj vf/kfu;e&15] 2021½ का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
ihŒlhŒpk/kjh]
ljdkj ds lfpoA

[Bihar Act 15, 2021]

THE BIHAR FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2021

AN
ACT

Preamble- To amend the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006, to provide amendment in fiscal targets for the year 2021-22, as recommended by the 15th Finance commission and government of India for application revised roadmap for fiscal consolidation and to make fiscal responsibility and bugget management process more transparent and comprehensive.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy second year of the Republic of India as follows :-

1. ***Short title, extent and commencement .—***

(1) This Act may be called The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint;

2. ***Amendment in section 9 of The Bihar Act 5, 2006.—*** The following new sub-section 2(b)(4) shall be added after sub-section 2(b)(3) of section 9 of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006) :-

"2(b)(5) The fiscal deficit target and annual borrowing limit for the year 2021-22 are enunciated as follows:-

(i) the fiscal deficit target and annual borrowing limit for the financial year 2021-22 shall be 4 percent. This borrowing limit shall be subject to the condition, set forth by the Government of India."

(ii) The annual borrowing limit for the year 2021-22 shall be increased by additional 0.5% of GSDP. This additional borrowing space shall be subject to the condition, set forth by the Government of India."

P.C.CHOUDHARY,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 672-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 चैत्र 1944 (श0)

(सं0 पटना 179) पटना, रविवार, 3 अप्रील 2022

fof/k foHkkx

अधिसूचना

3 अप्रील 2022

सं० एल०जी०–01–11/2022–2837/लेज।––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 02 अप्रैल, 2022 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
ljdkj ds iHkkjh lfpoA

[fcgkj vf/kfu;e 09] 2022]

fcgkj jkT;dks"kh; mÙkjnkf;Ro ,oa ctV izca/ku ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2022

fcgkj jkT;dks"kh; mÙkjnkf;Ro ,oa ctV izca/ku vf/kfu;e] 2006 ¼fcgkj vf/kfu;e 5] 2006½ dk la'kks/ku djus ds fy, vf/kfu;e

iLrkouk& राजकोषीय समेकन के लिए 15वें वित्त आयोग तथा भारत सरकार द्वारा यथा अनुशंसित, पुनरीक्षित रूपरेखा को लागू करने एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रक्रिया को पारदर्शी तथा व्यापक बनाने के लिए राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 में संशोधन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1- Lkaf{kIr uke] foLrkj ,oa izkjEHkA &

(1) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2- fcgkj vf/kfu;e&5] 2006 dh /kkjk&9 dk la'kks/kuA & बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा–9 की उप धारा– 2(ख)(5) के बाद नई उप धारा–2(ख)(6) निम्नलिखित रूप से जोड़ी जायेगी :–

"2¼[k½¼6½ वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2025–26 की अवधि में राज्य के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्यों और वार्षिक उधार सीमाओं का प्रतिज्ञापन निम्नवत किया जाता है :–

(I) वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए राज्य की सामान्य निवल उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत होगी।

(II) वित्तीय वर्ष 2023–24 से 2025–26 की तीन वर्ष की अवधि के लिए राज्य की सामान्य निवल उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत होगी।

(III) वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2024–25 की अवधि के लिए निर्धारित अधिसीमा के अतिरिक्त राज्य का वार्षिक उधार सीमा 0.5 प्रतिशत से वर्धित होगा। यह अतिरिक्त उधार सीमा भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्त्त के अधीन होगा।

(IV) वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 की अवधि के दौरान किसी विशिष्ट वर्ष में राज्य अपनी स्वीकृत उधार सीमा का पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं होता है, तो उसे बाद के वर्षों में पंचाट अवधि के भीतर इस अनुपयोजित उधार राशि (जिसका रूपये में परिकलन किया गया है) का उपयोग करने का विकल्प होगा।"

T;kfrLo:i JhokLro]
ljdkj ds iz/kku lfpoA

3 अप्रील 2022

सं० एल०जी०–01–11/2022&2838@yst—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 02 अप्रील, 2022 को अनुमत fcgkj jkT;dks"kh; mÙkjnkf;Ro ,oa ctV izca/ku ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2022 **(बिहार अधिनियम 09, 2022)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
T;kfrLo:i JhokLro]
ljdkj ds iz/kku lfpoA

[Bihar Act 09, 2022]

THE BIHAR FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2022

AN

ACT

Preamble- To amend the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006, to provide amendment in fiscal targets as recommended by the 15^{th} Finance Commission and Government of India for application revised roadmap for fiscal consolidation and to make fiscal responsibility and budget management process more transparent and comprehensive.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy third year of the Republic of India as follows :-

1. ***Short title, extent and commencement .—***

(1) This Act may be called The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint;

2. ***Amendment in section 9 of The Bihar Act 5, 2006.—*** The following new sub-section 2(b)(6) shall be added after sub-section 2(b)(5) of section 9 of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006) :-

"2(b)(6) The fiscal deficit targets and annual borrowing limits for the State during the period 2022-23 to 2025-26 are enunciated as follows :-

(I) The normal net borrowing limit for the financial year 2022-23 shall be 3.5 percent of GSDP.

(II) The normal net borrowing limit for the three-year period of 2023-24 to 2025-26 shall be 3 percent of GSDP.

(III) The annual borrowing limit for the period 2022-23 to 2024-25 shall be increased by additional 0.5% of GSDP. This additional borrowing space shall be subject to the condition, set forth by the Government of India.

(IV) If the State is not able to fully utilize its sanctioned borrowing limit as specified in any particular year during the financial year 2021-22 to 2024-25, it will have the option of availing this unutilized borrowing amount (calculated in rupees) in any of the subsequent years within the 15^{th} Finance Commission award period."

Jyoti Swaroop Srivastava,
Secretary incharge to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 179-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in